न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 12/2013/भीलवाड़ा (2013/00021)

शम्भू सिंह पुत्र श्री केशर सिंह मीणा, निवासी गाडोली तहसील जहाजपुर थाना हनुमान नगर जिला भीलवाड़ा।

अपीलान्ट

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा आदेश क्रमांक न्याय/आर्म्स/ 2012/डी–255 दिनाक 19–2–2013 व 29–4–2013

———

उपस्थितः 1–श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक 22–6–2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एस.बी.बी.एल गन नम्बर 13270 हथियार का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बी एच एल/25/85 जो 31–12–2012 तक नवीनीकृत था जो कि 1985 से नवीनीकरण होता आ रहा था। इसे आगामी तीन वर्ष हेतु नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलांट के चरित्र संबंधी जांच करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से रिपोर्ट चाही गई जिला पलिस अधीक्षक ने अपीलांट के चरित्र संबंधी कोई विपरीत रिपोर्ट नहीं भेजी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में केवल अपीलांट के नाम प्रकरण संख्या 177/90 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 325, 452, 427, आईपीसी थाना जहाजपुर में दर्ज होकर जैर ट्रायल होने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं करने की अनुंशंषा की। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 19–272013 को आदेश पारित कर अपीलांट के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 25/85 को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट के राजकीय अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि प्रार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण अवधि 1–1–2013 से 31–12–2015 तक कराने के लिए दिनांक 24–12–2012 को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया । जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 19–2–2013 को आदेश पारित कर प्रार्थी के नाम से हथियार के लाईसेन्स को निरस्त कर दिया और उक्त आदेश दिनांक 19–2–2013 की प्रति डाक से प्रार्थी को भेजी। यह पत्र प्रार्थी को दिनांक 22–4–2013 को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात प्रार्थी ने हथियार के लाईसेन्स संबंधी सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 24–4–2013 को जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के कार्यालय मे आवेदन किया तो सम्पूर्ण पत्रावली की नकल दिनांक 14–6–2013 को प्राप्त हुई तब प्रार्थी ने अजमेर आकर अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार करवाकर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 19–2–2013 न्याय, नियम व रिकार्ड में उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाणों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(1) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि लाईसेंस को रिवोक/निलम्बन/निरन्त संबंधी आदेश पारित करने से पूर्व लाईसेंसधारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक माना गया है। इसलिए उक्त अपीलाधीन

आदेश आर्म्स एक्ट की धारा 17(1) व (3) के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। उक्त आदेश में लाईसेंस के नवीनीकरण नहीं करने के कोई कारण अंकित नहीं किये गये है। जिला मजिस्ट्रेट ने केवल जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित किया है कि उनका लाईसेन्स रिन्यू नहीं कर निलम्बित किया गया है। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)(बी) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि पूर्व में जारी आर्म्स लाईसेन्स उन्हीं परिस्थितियों में निलम्बित/रिवोक किया जा सकता है जहां जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए आवश्यक हो। इन प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए ही लाईसेंस निरस्त किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने कभी भी लाईसेंसशुदा हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है तथा न ही अपीलांट के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कोई प्रकरण विचाराधीन है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से अपीलांट के चरित्र संबंधी रिपोर्ट चाही थी। जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने केवल अपीलांट के नाम से प्रकरण संख्या 177/90 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 325, 452, 427, आईपीसी थाना हनुमान नगर में दर्ज होना बतलाया तथा उक्त प्रकरण जैर ट्रायल होना भी रिपोर्ट में अंकित किया है। उक्त फौजदारी प्रकरण अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जहाजपुर ने दिनांक 25–11–2002 को निर्णित भी कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की गलत रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3) में यदि लाईसेंस निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जाती है तो लाईसेंसिंग अथोरिटी को उपधारा–5 में कारण बताने होंगे कि लाईसेंसी के पास हथियार होने से किन कारणों से जन सुरक्षा को खतरा है। एक मुकदमा जो वर्ष 2002 में दर्ज हुआ था और उसका निर्णय भी दिनांक 25–11–2002 को हो गया। इस मुकदमें के लम्बित रहने और उसके निस्तारित होने के बाद भी 11 वर्ष तक लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाता रहा। 2013 से एकदम ऐसी कौनसी परिस्थिति बदल गई जिसके कारण अपीलांट का लाईसेंस निरस्त किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपने निर्णय में किसी भी कारणों का उल्लेख नहीं किया है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ ने 2005(2) Cr.L.R.(Raj) पृष्ठ 907 में प्रकाशित निर्णय डी.वी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 576/2003 में पारित निर्णय दिनांक 18–1–2015 एवं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 (3) Criminal Court Cases पृष्ठ 503 में प्रकाशित निर्णय पिटीशन नम्बर 13164/2003 व दिनांक 8–11–2005 विरेन्द्र पाल सिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य के प्रकरण में स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि जिला मजिस्ट्रेट ने यह अंकित नहीं किया कि लोक शांति की सुरक्षा बनाए रखने के

लिए किस प्रकार अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को रद्ध करना जरूरी था। माननीय खण्ड पीठ ने यह भी मत वयक्त किया कि कुछ फौजदारी मुकदमें लम्बित होने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर के परिपत्र प–1(13) गृह–9/2006 दिनांक 16–2–2006 के बिन्दु संख्या 5 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करने से पहले बिन्दु संख्या 5.2(1) से 5.2(12) में वर्णित बिन्दुओं की पालना करने पर ही लाईसेंस आगे रिन्यू करने की व्यवस्था है। बिन्दु संख्या 5 में वर्णित शर्तो की अवहेलना का अपीलांट दोषी नहीं है। इसी प्रकार शपथ पत्र में जो 1 से 5 बिन्दु है इनमें से कोई भी बिन्दु अपीलांट के विपरीत नहीं है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प–1 (13) गृह–9/2006 दिनांक 16–2–2010 को अवलोकन करे। इस परिपत्र के पैरा संख्या 7 में राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16–12–2006 के बिन्दु संख्या 8–1 में संशोधन किया गया हैं। अब यह प्रावधान किया गया है कि अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण व निरस्तीकरण के प्रकरणों में आयुद्ध अधिनियम के आधार पर कार्यवाही के निर्देश दिये है। परिपत्र दिनांक 16–12–2006 के इस प्रावधान को हटा दिया गया है कि यदि किसी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज है तो ऐसे अनुज्ञाधारी का लाईसेंस तुरन्त निरन्त किया जावे। इस प्रकार परिपत्र दिनांक 16–2–2010 के प्रावधान प्रभाव में आने के बाद पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की रिपोर्ट निष्प्रभावी हो गई है। इसके अलावा जिस मुकदमे को विचाराधीन होना मानकर हथियार का लाईसेंस निरस्त किया गया है वह मुकदमा दिनांक 25–11–2002 को ही निरस्त हो गया है। थानाधिकारी हनुमान नगर ने दिनांक 25–12–2012 को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें अंकित किया है कि लाईसेंसधारी का व्यवहार अच्छा है और पिछले तीन वर्षो से लाईसेंसधारी ने हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है। लाईसेंस से समाज एवं गांव में भय/आतंक उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाईसेंस अगली अवधि के लिए रिन्यू करने की सिफारिश भी की है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलांट रिटायर फौजी है और रिटायरमेंट के बाद वह अपने पैतृक गांव में खेती करता है। अपीलांट के नाम ग्राम गाडोली में 20 बीघा कृषि भूमि है हलका पटवारी ने खेती की सुरक्षा के लिए हथियार के लाईसेन्स को रिन्यू किये जाने की आवश्यकता बताई है। राज्य सरकार के गृह ग्रुप–9 विभाग जयपुर ने अपने परिपत्र क्रमांक प–1(13) गृह–9/2006/जयपुर दिनांक 13–7–2007 के द्वारा कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए हथियार के लाईसेंस का नवीनीकरण करने की व्यवस्था की है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने पटवारी की रिपोर्ट को भी नजर अन्दाज करते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 19–2–2013 में अपीलांट के सकूनत पर नहीं होने से शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं करने के आधार पर भी लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं करने का

आधार अपने निर्णय में लिखा है । इस बारे में उपजिला मजिस्ट्रेट, जहाजपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 15434 दिनांक 27–12–2012 के कॉलम 12 में अंकित किया है कि लाईसेंस का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। इस रिपोर्ट को नजरअन्दाज कर आदेश पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश न्याय/आर्म्स/आदेश/2012/डी 255 दिनांक 19–2–2013 व 29–4–2013 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाते है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक 3174 दिनांक 11–2–2013 मे रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि आवेदक अपनी सकूनत पर नहीं हो शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। अतः शस्त्र अनुज्ञा पत्र का अगली अवधि के लिए नवीनीकरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने के आधार पर आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। उक्त आधार पर ही शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने के आदेश पारित किये है। जो विधिसम्मत है।

मैने अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रेषित कर जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने हेतु रिपोर्ट प्राप्त की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 3174 दिनांक 11–2–2013 में उल्लेखित किया है कि अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 177/90 अन्तर्गत धारा 147, 248, 149, 325, 452, 427 भदस के अन्तर्गत थाना जाहजपुर पर दर्ज हो संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही आवेदक अपनी सकूनत पर नहीं हो शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। इस आधार पर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का अगली अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण को अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जहाजपुर ने अपने निर्णय दिनांक 25–11–2002 को निर्णित भी कर दिया है। साथ ही उपजिला मजिस्ट्रेट, जहाजपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27–12–2012 में अंकित किया है कि अपीलांट के लाईसेन्स में दर्ज हथियार का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। अपीलांट शम्भू सिंह रिटायर फौजी है और रिटायरमेंट के बाद वह अपने पैतृक गांव में खेती करता है। अपीलांट के नाम ग्राम गाडोली में 20 बीघा कृषि भूमि है हलका पटवारी ने खेती की सुरक्षा के लिए हथियार के लाईसेन्स को रिन्यू किये जाने की आवश्यकता बताई है। राज्य सरकार के गृह ग्रुप–9 विभाग जयपुर ने अपने परिपत्र क्रमांक प–1(13) गृह–9/2006/जयपुर दिनांक

13–7–2007 के द्वारा कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए हथियार के लाईसेंस का नवीनीकरण किये जाने का अंकन है। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 13(1) व 14 (3) के तहत जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा आदेश जारी करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया साथ ही अपीलांट के विरूद्ध किसी भी थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है तथा न ही अपीलांट आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। अपीलांट ने खेती की सुरक्षा के लिए हथियार के लाईसेन्स को नवीनीकरण करने हेतु आवेदन किया था। पटवारी हलका ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 25–12–2012 में अपीलांट का लाईसेन्स नवीनीकरण करने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने केवल जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किया है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं पटवारी हलका की रिपोर्ट एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, जहाजपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट को अनदेखा कर आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। मेरी राय में उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध सभी तथ्यों की एवं राज्य सरकार के परिपत्र/आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पुनः जांच किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हमें जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–2–2013 एवं संशोधित आदेश दिनांक 29–4–2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य प्रतीत होता है, लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा) का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/आदेश/2012/डी 255 /19–2–2013 एवं संशोधित आदेश दिनांक 29–4–2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का पुनः अवलोकन कर एवं अपीलांट को पुनः विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 22–6–2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर